

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
आंशिक संशोधित कार्य विभाजन आदेश

क्रमांक 10 / सां0लि0-36 / 2005

हरदा, दिनांक 30 / 01 / 2025

सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 214, 422 तथा 441 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 09 दिनांक 28.01.2025 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :-

1. कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 09 दिनांक 28.01.2025 के कॉलम-2 "प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदा" के सत्र खण्ड में वर्णित कंडिका क्रमांक 3 "भारतीय विद्युत.....विविध कार्यवाहियां" विलोपित की जाती है।
2. कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 09 दिनांक 28.01.2025 के कॉलम क्रमांक-2 "द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदा" के सत्र खण्ड में वर्णित कंडिका क्रमांक 3 के पश्चात् कंडिका क्रमांक 4 जोड़ी जाकर निम्नानुसार पंक्ति स्थापित की जाती हैं :-

कंडिका-4 "भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत जिला हरदा के समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित जमानत आवेदन और अन्य विविध कार्यवाहियां।"

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा
हरदा, दिनांक 30 / 01 / 2025

पृष्ठांकन क्रमांक 132 / सां0लि0 / 36
प्रतिलिपि :-

1. समस्त न्यायाधीशगण, हरदा / टिमरनी / खिरकिया
2. उपप्रबंधक, मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, हरदा
3. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. पुलिस अधीक्षक, हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. सचिव, बार एसोसिएशन, हरदा / टिमरनी / खिरकिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. सिस्टम ऑफीसर, कम्प्यूटर अनुभाग, हरदा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्यविभाजन आदेश जिला न्यायालय, हरदा की वेबसाइट पर अपलोड करें तथा सर्वसंबंधित की ओर ऑनलाईन प्रसारित करें।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा